

RBENo.- 59/15

CPO's Sl. No. 824/15

dated: 25/5/15

No. E/74/0/ECR/HJP

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पूमोरे, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यात्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्रचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/Sub: *Annual Performance Appraisal Report (APAR) of non-gazetted staff addition of a new column in the performs for filling Annual Return of Immovable Property - Reg.*

संदर्भ/Ref: *Rly. Bt's letter No. E(NR)I-2015/CR/2dt 10/6/15*

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded here with for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

A : As above.

अंश 6/15
(प्रीति प्रशिक्षण)
वकाधि/म.के.ए. एवं रुलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एसओसीओ/एसओटीओ एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सहायक (आपी.पी.) 2/हाजीपुर; कृपया एक नोट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/उप महाप्रबंधक/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर

CA
05/7/15
प्रति

R.B.E. No. 59/2015

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2015/CR/2

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units
(As per standard list)

New Delhi, dated 10.06.2015

Sub:- Annual Performance Appraisal Report (APAR) of non-gazetted staff-
Addition of a new column in the performas for filing Annual Return of
Immovable Property- Regarding.

As the Railways are aware, in terms of Board's letter No. E(D&A)-2007/GS-1-1 dated 17.06.2009, supervisory staff of Group 'C' working on the Railways in the scales of pay, the maximum of which, is in Pay Band-II, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/- will have to submit annual return of their immovable property. A question whether an additional column may be inserted in the Part-II (Self Appraisal) of performas being used for filling up of APAR of non-gazetted supervisory staff on the Railways showing that Annual Immovable Property Return has been filed, has been engaging attention of Board for quite some time.

2. The matter has accordingly been considered by Board. It has been decided that an additional column number 03 in Part-II, Self Appraisal in the Annexure-I to IV of forms circulated to zonal Railways under Railway Board's letter No. E(NG)I-86/CR/5 dated 22.04.1987 or wherever it is required to be added suitably in the case of supervisory staff, may be introduced describing unambiguously "whether Annual Return of Immovable Property for preceding years to which APAR is being reported upon, has been submitted by supervisory staff who are working on the Zonal Railways in Grade Pay Rs. 4600/- and above. The reporting officer shall not accept the APAR without this newly inserted column filled up by the official reported upon and take further action in the process of writing of APAR as per extant procedure contained in Board's letter No. E(NG)I-2000/CR/3 dated 12.01.2001 assuming that the employee concerned has not submitted his self appraisal within the given time.

(This disposes of West Central Railway's letter No. पमरे/का.मुख्या./गोपनीय/गो.रि./
कार्यविधि दिनांक 20.02.2015).

(Arvind Kumar)
Executive Director Estt. (N)
Railway Board

Rel'y
16/6/15

आर बी ई सं. 59 /2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक: 10.06.2015

सं. ई(एनजी)I-2015/सीआर/2

महाप्रबंधक, (का)

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित कर्मचारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
(एपीएआर)-अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी दायर करने के संबंध में
प्रोफार्मा में एक नया कॉलम जोड़ना।

जैसा कि रेलों को विदित है बोर्ड के दिनांक 17.06.2009 के पत्र सं. ई (डी एण्ड ए)-
2007/जी एस 1-1 के अनुसार वेतनमानों, जिसका अधिकतम पे बैंड II, 9300-34800/- रूपए
तथा ग्रेड पे 4600/- रूपए है, में रेलों में कार्यरत ग्रुप 'सी' के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अपनी
अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। बोर्ड के समक्ष कुछ समय से यह प्रश्न
था कि क्या रेलवे के अराजपत्रित पर्यवेक्षी कर्मचारियों के एपीएआर को भरने के लिए उपयोग में
लाए जाने वाले प्रोफार्मा के भाग-II (स्व मूल्यांकन) में वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी दायर कर
दी गई है, यह दर्शाने के लिए एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ा जाना चाहिए।

2. तदनुसार बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है
कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.04.1987 के पत्र सं. ई(एनजी)I-86/सीआर/5 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलों
को परिपत्रित फार्म के अनुलग्नक-I से IV के भाग-II, स्व मूल्यांकन में अतिरिक्त कॉलम सं. 3
अथवा जहां कहीं पर्यवेक्षी कर्मचारियों के मामले में उपयुक्त रूप से जोड़ा जाना अपेक्षित हो,
जोड़ा जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि "क्षेत्रीय रेलों पर 4600/- रूपए
और इससे ऊपर के ग्रेड पे वाले कार्यरत पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा क्या पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके
संबंध में एपीएआर लिखी जा रही है, से संबंधित अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की
गयी है। जिस कर्मचारी की रिपोर्ट लिखी जानी है उसके द्वारा नए शामिल किए गए इस कॉलम
को न भरे जाने की स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी एपीएआर को स्वीकार नहीं करेगा और यह
मानते हुए कि संबंधित कर्मचारी ने निर्धारित समय के भीतर अपना स्व मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं
किया है। बोर्ड के दिनांक 12.01.2001 के पत्र सं. ई (एनजी)I-2000/सी आर/3 में अंतर्विष्ट
प्रक्रिया के अनुसार एपीएआर लिखने के संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी।
(इससे पश्चिम मध्य रेलवे के दिनांक 20.02.2015 के पत्र सं.
पमरे/का.मुख्या./गोपनीय/गो.रि./कार्यविधि का निपटान हो जाता है।


(अरविंद कुमार)

कार्य. निदेशक, स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड